रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 266] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 24, 1975/आश्विन 2, 1897

No. 266] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 24, 1975/ASVINA 2, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th September 1975

G.S.R. 501(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Defence and Internal Security of India Act, 1971 (42 of 1971), and of all other powers enabling the Central Government in this behalf, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Defence and Internal Security of India Rules, 1971, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Defence and Internal Security of India (Fourth Amendment) Rules, 1975.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Insertion of new rule 184A.**—After rule 184 of the Defence and Internal Security of India Rules, 1971, the following rule shall be inserted, namely:—

"184A. *Special provision regarding custody after arrest.*—The provisions of clause (b) of the proviso to sub-section (2) of section 167 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), shall not apply to a person who is arrested for alleged contravention of any provision of these rules or of any order made thereunder, if such person had been, after such arrest, produced before a Magistrate who is competent to try the case or commit it for trial and the initial order for the detention of such person in custody had been made by the Magistrate before whom he was so produced."

[No. F.II/16012/3/75-S&P(D.II)]

C. V. NARASIMHAN, Jt. Secy.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 1975

सा० का० नि०501 (अ).—भारत रक्षा और आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, 1971 (1971 का 42) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत रक्षा और आंतरिक सुरक्षा नियम, 1971 में और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का नाम भारत रक्षा और आंतरिक सुरक्षा (चतुर्थ संशोधन) नियम, 1975 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **नए नियम 184क का अंतःस्थापन.**—भारत रक्षा और आंतरिक सुरक्षा नियम, 1971 में, नियम 184 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"184क. **गिरफ्तारी के पश्चात् अभिरक्षा की बाबत विशेष उपबन्ध.**—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 167 की उपधारा (2) के परन्तुक के खंड (ख) के उपबन्ध उस व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे जिसे इन नियमों के किसी उपबन्ध के या उसके अधीन बनाए गए किसी आदेश के कथित उल्लंघन के लिए गिरफ्तार किया गया हो यदि ऐसे व्यक्ति को, ऐसी गिरफ्तारी के पश्चात्, ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर दिया गया था जो उस मामले का विचारण करने के लिए या उसे विचारण के लिए सुपुर्द करने के लिए सक्षम है तथा ऐसे व्यक्ति को अभिरक्षा में निरुद्ध रखने का प्रारम्भिक आदेश उस मजिस्ट्रेट ने किया था जिसके समक्ष उसको इस प्रकार पेश किया गया था।"

[सं० फा०II–16012/3/75–एस० एंड पी० (डी–II)]

स० वी० नरसिम्हन संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI 1975